ग्रिड-कनैक्टेड नेट मीटरिंग आधारित सोलर रूफटाप संयत्र लगवाने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 1 कि0वा0 से 3 कि0वा0 क्षमता तक के संयत्र पर संयत्र लागत का 40 प्रतिशत एवं 03 कि0वा0 से 10 कि0वा0 क्षमता तक के संयत्र पर, 03 कि0वा0 क्षमता तक की लागत का 40 प्रतिशत तथा 03 कि0वा0 से ऊपर की क्षमता की लागत का 20 प्रतिशत जोड़कर उक्त के बराबर केन्द्रीय अनुदान अनुमन्य है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार भी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को नेटमीटर आधारित सोलर रूफटाप संयंत्रों की स्थापना पर रू0 15000/-प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम प्रति उपभोक्ता रू0 30000/- का अनुदान उपलब्ध कराती है।

संयत्र स्थापना के उपरांत डिस्का ॅम के अधिकारी द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीएनईडीएएसओएलएआरआरओओएफटीओपीपीओआरटीएएल.सीओएम पर अपलोड होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी यूपीनेडा द्वारा सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाती है तथा भारत सरकार द्वारा देय अनुदान संबंधित डिस्काम द्वारा वेण्डर को उपलब्ध कराया जाता है, जो उक्त अनुदान की राशि को घटाकर ही संयत्र स्थापना का बिल उपभोक्ता से चार्ज करता है।

इस लक्ष्य आधारित लाभार्थीपरक योजना में उपभोक्ता को सब्सिडी का ट्रांसफर, योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्य, बजट की उपलब्धता एवं लाभार्थी द्वारा वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के अनुसार न्यूनतम समय में किया जाता है।

दिनांक 20.08.2019 से लागू योजना की नवीन गाइडलाइन के अनुसार, केन्द्रीय अनुदान की धनराशि डिस्का ॅम के माध्यम से, संबंधित उपभोक्ता को नहीं बल्कि संयंत्र स्थापित करने वाले वेन्डर को भुगतान किये जाने की व्यवस्था लागू है।

उपरोक्तानुसार

ए0 के0 शर्मा

मंत्री,

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग।